भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1967

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: असम में पीएम-किसान योजना में विसंगतियां

1967. श्री गौरव गोगोई:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और विसंगतियों की जानकारी है, यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच करने और उनका समाधान करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ख) असम में भविष्य में ऐसी अनियमितताओं के मामलों को रोकने के लिए पीएम-किसान योजना के जांच और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम में इन अनियमितताओं का समाधान करने और पात्र किसानों को पुन: लाभ प्रदान करने हेतु समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है।

पीएम-किसान योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थी की पहचान और सत्यापन तथा सत्यापित विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने की

जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है।

यह योजना शुरू में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके निवारण के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल योग्य लाभार्थियों को प्रदान किए जाएं, भूमि सीडिंग, बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी को योजना के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है। जो किसान इन अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उनके लाभ रोक दिए जाते हैं। हालांकि, जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके लाभ तुरंत सभी लंबित किस्तों के साथ जारी कर दिए जाते हैं, यदि कोई हो।

इन प्रयासों के साथ, 19वीं किस्त का लाभ 9.8 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को जारी किया गया। असम में 20.87 लाख से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त के तहत कुल ₹475.09 करोड़ की धनराशि का लाभ मिला।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि जैसे उच्च आय समूहों के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को अंतरित किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है।

*****